विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल–कूद अवसंरचना एवं उपकरणों के विकास संबंधी दिशा–निर्देश 12वीं योजना अवधि (2012–2017) के दौरान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल–कूद अवसंरचना एवं उपकरणों के विकास संबंधी दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

खेल–कूद, शारीरिक एवं मानसिक विाकस का साधन होने के अतिरिक्त देश में मैत्री भावना का भी निर्माण करते हैं। खेल–कूद एक ऐसा आधार स्थल है जहाँ पर सभी सिद्धान्तों, वर्ण, धर्म एवं समाजी आर्थिक स्तर के व्यक्तियों को मनोरंजन के समान सुअवसर उपलब्ध होते हैं। यह एक ऐसा द्रवीभूत करने का माध्यम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार एवं सुअवसर उपलब्ध हैं। इस प्रकार खेल–कूद राष्ट्रीय एकीकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है। खेल–कूद में भागीदारी किसी भी देश को तत्पर बनाती हैं तथा जनसंख्या के मध्य अस्वस्थता एवं नश्वरता के दबाव को भी न्यून करती है। भारतीय लोग स्वभाव से गृह–प्रेमी हैं अतः इसी अनुसार जीवन शैली के कारण रोगों का भार घातक रूप से देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुंए कि स्वस्थ एवं तत्पर राष्ट्र सभी मानदण्डों के अनुसार निष्पादन में अधिक श्रेष्ठ होता है, यह महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में खेल–कूद अवसंरचना विकास का समर्थन करता है जिससे समस्त छात्रों को खेल–कूद में विशाल रूप से भाग लेने के सुअवसर उपलब्ध हो सकें। खेल–कूद की प्रोन्नति के लिए इस योजना के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मूलभूत अवसंरचना एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे। छात्रों को उनके अवकाश काल में सकारात्मक तौर से व्यस्त रखने के लिए यह एक प्रयास है।

2. लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस परियोजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में खेल–कूद प्रोन्नत करना है जिससे वहाँ पर क्षमता निर्माण हो जिसके पीछे यह विचार धारा है कि खेल–कूद सूची स्तम्भ का विशाल आधार अन्ततोगत्वा उन पर्याप्त खिलाड़ियों को जन्म दे जो सर्वोत्कृष्ट खेलों में भाग लें। उस सूची स्तम्भ को और विस्तृत बनाकर अंतः ऐसे अनेक खिलाड़ी उभरकर आएँगे जो भारत का प्रतिनिधित्व अंर्तराष्ट्रीय खेलों में करेंगे।

(क) विशिष्ट खेलों में छात्रों की भागीदारी को देखते हुए खेलकूद अवसंरचना के मंथर विकास–अर्थात मूलभूत सें उच्चतमांक अवस्था तक के लिए चरणबद्ध रूप से समर्थन।

(ख) अवसंरचना एवं उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए छात्रों द्वारा विशिष्ट खेलों में गत अवधि में किया गया निष्पादन दृष्टिगत किया जाएगा।

(ग) जैसा कि प्रथम चरण में संकेत दिया गया है, समस्त पात्र विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी बशर्ते उनके प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयुक्त माना गया हो। चरण–II अथवा चरण–III तक के लिए इसके बाद का अनुदान को उन्नत करने की कार्रवाई यथास्थिति पहले उपलब्ध कराई गई सहायता की उच्चतम उपयोगिता किए जाने और/अथवा संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ही की जाएगी, तथा

(घ) परियोजना की समस्त गतिशीलता, का लक्ष्य अवसंरचना का चरणबद्ध विकास एवं प्रत्येक स्तर पर उचित सर्वेक्षण करना है।

3. पात्रता

(क) समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय (कृषि/चिकित्सा/दन्त चिकित्सा/परिचर्या/निजी विश्वविद्यालय इनसे अतिरिक्त) जो अनुच्छेद 2 (एफ) एवं धारा 12 (बी), यूजीसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आवृत्त हैं तथा जिन्हें यूजीसी की विकास सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित किया गया है–वे सभी इस परियोजना में आवृत्त होंगे।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत जिस भूमि/भवन को लेकर अवसंरचना की माँग की गई है, वह भूमि/भवन उस आवेदक संस्थान के अविवादित कब्जे में होनी चाहिए।

(ग) समस्त नक्शों के खाकों एवं अनुमानित आय–व्यय अनुमानों को ऐसे पंजीकृत वास्तुकार से तैयार कराया जाए जो वास्तुकार परिषद् से पंजीकृत हो।

(घ) आवंटित राशि संपूर्णतः अंतिम रूप से होगी तथा लागत में होने वाली किसी बाद की बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ड) निधि को, यूजीसी के उन परियोजनाओं पर लागू नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा।

(च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अगले चरण के लिए आवेदन कर सकता है–यदि इसके पास पूर्व संदर्भित चरणों के अनुसार पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध है।

(छ) कोई भी व्यय जो कि यूजीसी द्वारा अनुमोदित अनुदान राशि से ऊपर हुआ है–इसे संस्थान द्वारा संसाधनों से पूरा करना होगा।

(झ) आवंटित अनुदान अवसंरचना एवं उपकरण निर्माण के लिए है तथा यूजीसी द्वारा रख रखाव के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

(त) परियोजना के निर्धारित प्रारूप में खेलकूद अनुशिक्षक/शारीरिक शिक्षा के निदेशक आदि के रूप में आवश्यक स्टाफ़ का उल्लेख किया जाना चाहिए। उपयोगिता के लिए मानव संसाधन के अभाव की स्थिति में कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।

(थ) उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण एवं की गई प्रगति के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूपों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(द) ऐसे समस्त प्रमाण पत्रों पर केन्द्रक परियोजना अधिकारी एवं कुलसचिव/प्राचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए।

4. प्रस्तावों की निपटान की एवं अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले उद्यतन प्रस्तावों का परीक्षण यूजीसी विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति द्वारस कराएगी। प्रस्ताव की स्वीकृति/नामंजूरी के बारे में विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति आयोग को अपनी अनुशंसा प्रदान करेगी। अनुदान का 50 प्रतिशत भाग तथा उपकरणों के लिए चिह्नित समस्त राशि पहली किस्त के रूप में जारी की जाएगी तथा शेष अनुदान में से 40 प्रतिशत राशि को यूजीसी द्वारा गठित समिति द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् किए गए सर्वेक्षण अनुसार, जारी किया जायगा। शेष 10 प्रतिशत अनुदान इस परियोजना के अन्तर्गत इस प्रस्ताव योजना के पूरा होने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

5. सर्वेक्षण की प्रणाली

यूजीसी द्वारा विधिवत गठित विधिवत विशेषज्ञ समिति द्वारा मध्यवधि सर्वेक्षण लगभग एक से डेढ़ वर्ष उपरान्त सामूहिक रूप से किया जाएगा।

6. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना के विकास के लिए–चरण बद्ध सहायता का प्रतिरूप

प्रथम चरण (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा मांगी गई अवसंरचनात्मक सहायता, उपलब्ध भूमि/मानव संसाधनों पर निर्भर होगी) (विभिन्न घटकों में से केवल दो मद ही अनुप्रयोज्य हैं)

I. संयुक्त फुटबॉल/क्रिकेट खेल मैदान–पिच सहित–मानक आकार

	प्रकार	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	बिना दौड पथ वाला	₹ 5,00,000
	6 विधि का घास वाला दौड़ पथ	₹ 6,00,000
	8 विधि का घास वाला दौड़ पथ	₹ 7,00,000

II.

	खेल मैदान का स्वरूप	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	मानक आकार वाला हॉकी घास मैदान–बिना दौड़ पथ के	₹ 3,60,000
	मानक आकार का कंक्रीट बास्कट बॉल आंगन–सीधी खड़ी मट्टी सहित तथा सिन्थेटिक बैक बोर्ड सहित	₹ 5,00,000
	प्रशिक्षण के लिए क्रिकेट पिच	₹ 60,000
	वॉलीबॉल एवं बास्किट बॉल आंगन के लिए परिप्रदीप्त	₹ 4,00,000

III. टेनिस प्रांगण–मानक आकार

	प्रकार	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	कंक्रीट	₹ 3,50,000
	मोरूम	₹ 3,00,000

द्वितीय चरण (प्रथम चरण के समुचित विकास के पश्चात अवसंरचना अनुप्रयुक्त होगी) (विभिन्न घटकों में से केवल दो घटको के लिए आवेदन किया जा सकता है।)

I. भीतरी खेलकूद प्रशिक्षण सुविधा–जिसमे लकडी का फर्श होगा (Tongue and Groove system)

	प्रकार	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	आकार 36X34X12.5मीटर के कम न हो	₹ 70,00,000
	आकार 30X18X12.5 मीटर के कम न हो	₹ 65,00,000
	आकार 20X12X7 मीटर के कम न हो	₹ 60,00,000

II.

	प्रशिक्षण सुविधा का स्वरूप	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	बहिरंग स्टेडियम मैदान आकार 105X70 मीटर के कम न हो	₹ 50,00,000
.	बहिरंग स्टेडियम मैदान आकार 170X100 मीटर के कम न हो जिसमें 8 पथ घास दौड़ मार्ग	₹ 60,00,000
	8 वीथि तरण–ताल जिसका वस्तिार 25X21X1.80 मीटर हो	₹ 1,25,00,000
	भीतरी चाँदमारी (Shooting Range) 30X20X4 मीटर	₹ 90,00,000
	50 विस्तर वाला खेलकूद छात्रावास	₹ 75,00,000
	बहु–उद्देश्यीय व्यायामशाला	₹ 1,00,00,000

तृतीय चरण (द्वितीय चरण में प्रर्याप्त विकास के पश्चात अवसंरचना अनुप्रयुक्त होगी) (केवल एक मद के लिए आवेदन किया जा सकता है।)

I.

	सुविधा का स्वरूप	यूजीसी सहायता का उच्चतमांक
	8 वीथि तरण–ताल जिसका वस्तिर 50X21X1.80 मीटर हो	₹ 2,25,00,000
	100 बिस्तर वाला खेलकूद छात्रावास	₹ 1,50,00,000
	स्वस्थता केन्द्र–खेलकूद विज्ञान समर्थित	₹ 2,40,00,000

नोटः (i) परियोजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय इन तीन चरणों में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है जो इस बात पर निर्भर होगा कि उसके द्वारा कितनी अवसंरचना का विकास हुआ है। प्रथम चरण के तीन घटक हैं। चरण–II के दो घटक हैं तथा चरण–III में केवल एक घटक है। आवेदक विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय चरण I के तीन घटकों में से किसी दो का तथा चरण II के दो में से दो घटकों का तथा चरण III से एक मद का आवेदन कर सकता है।

II उपकरणों के लिए प्रत्येक चरण में एक अतिरिक्त समेंकित ₹10 लाख राशि तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

III विश्वविद्यालय महाविद्यालय बारहवीं योजना में निर्मित जो अवसंरचना सामान्य विकास सहायता के अन्तर्गत विद्यमान थी, उसे अनुरक्षित करें। तत्पश्चात उस अवसंरचना का अनुरक्षण सम्बद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

IV निम्न के अन्तर्गत सहायता उच्चतमांक

(अ) चरण I - ₹ 12.00 लाख+ 10.00 लाख उपकरण हेतु = ₹22.00 लाख
चरण II - ₹ 170.00 लाख+ 10.00 लाख उपकरण हेतु = ₹180.00 लाख
चरण III- ₹ 240.00 लाख+ 10.00 लाख उपकरण हेतु = ₹250.00 लाख

अनुलग्नकः–I

परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव का प्रारूप

जिस चरण के लिए आवेदन किया गया है।

यदि प्रारम्भिक चरणों में सुविधाएँ निम्न चरणों में उपलब्ध हैं तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उच्चतर चरण के लिए आवेदन कर सकता है।

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सूचनाः

नाम	
पता	
कुलपति का नाम/प्राचार्य	
दूरभाष सं. (कार्यालय)	
मोबाइल सं.	
ई. मेल आई डी	
वेबसाइट	
केन्द्रक परियोजना अधिकारी का नाम (एन.पी.ओ.)	
एन.पी.ओ. का दूरभाष नं (कार्यालय)	

2. क्या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ़) एवं 12 (बी) के अन्तर्गत मान्य हैं? (कृपया चिह्नित करें) हाँ/नहीं
3. विश्वविद्यालय महाविद्यालय की अवस्थिति – शहरी/ग्रामीण

4. गत 3 वर्षों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा नामांकित नियमित छात्रों की संख्याः

वर्ष	छात्रों की संख्या

5. विश्वविद्यलय/महाविद्यालय में उपलब्ध अवसंरचना का विवरणः

क्र.सं.	चरण–I	चरण–II

6. 11वीं योजना अवधि में किसी भी खेल कूद योजना के अन्तर्गत दी गई यूजीसी की वित्तीय सहायता का विवरण

आवंटित	
जारी की गई	
उपयोगिता की गई	
प्रतिपूर्ति	

7. गत तीन वर्षों के दौरान खेलकूद में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की भागीदारी

क्र.सं.	खेल का नाम	वर्ष	भागीदारी करने वाले खेलों की संख्या

8. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की अन्तर विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालय खेलों में एवं इनके अतिरिक्त अन्य में प्राप्त मेडल की गणना, गत तीन वर्षों के दौरान

वर्ष	खेल	भागीदारी का स्तर	मैडल

9. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध मानव संसाधन

	संख्या	कार्य भार ग्रहण तिथि
निदेशक		
उप–निदेशक		

सहायक निदेशक		

अनुशिक्षक (संख्या)	खेल	एस0ए0आई0	विश्वविद्यालय	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

10. प्रस्तावित निर्माण किए जाने वाली अवसंरचना की योजनाः

योजना	वास्तुकार का नाम व पता	वास्तुकार परिषद् में वास्तुकार की पंजीकरण संख्या

11. उपलब्ध भूमि का विवरणः–

भूमि का विस्तार	जिस उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाना है	मालिकाना दस्तावेज (संलग्न/संलग्न नहीं)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य सही है। तथा मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसान सत्य हैंः–

परियोजना के केन्द्रक अधिकारी

कुलसचिव/प्राचार्य

अनुलग्नक–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ₹..... (रूपये.....) जो कि पत्र मि0सं0 / पत्र.....दिनाँक.....जो कि..... के लिए स्वीकृत की गई थी उसकी उपयोगिता उसी उद्देश्य के लिए कर ली गई है तथा आयोग द्वारा निर्धारित निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार इसकी उपयोगिता हुई है।

यदि किसी जाँच अथवा लेखा परीक्षा के परिणाम स्वरूप यदि कोई बाद में अनियमितता पाई जाती है तो विवादित राशि की प्रतिपूर्ति अथवा उसके नियमितिकरण के बारे में कार्रवाई की जाएगी।

प्राचार्य / कुलसचिव (सील सहित)	वित्त अधिकारी (केवल विश्वविद्यालय के विषय में)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सरकारी लेखपाल (महाविद्यालय के विषय में)

दिनाँक: .....

अनुलग्नक–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली

व्यय विवरण

लेखा परीक्षित व्यय विवरण जो कि ..... के विषय में है जिसे यूजीसी ने पत्र संख्या ..... दिनाँक ..... द्वारा अनुमोदित किया है।

विस्तृत व्यय विवरण

प्राचार्य / कुलसचिव	वित्त अधिकारी (केवल विश्वविद्यालय के लिए)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सरकारी लेखा परीक्षक (केवल महाविद्यालय के लिए)

दिनाँकः .....

मद संख्या 4.01–अनुलग्नक–II

12वीं योजना दिशा–निर्देश

विश्वविद्यालयों में खेल–कूद में विकास हेतु उत्कृष्टता के केन्द्र (सी0ई0डी0एस0)
(2012–2017)

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफ़र मार्ग
नई दिल्ली–110002

12वीं योजना दिशा–निर्देश
खेल–कूद विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सी0ई0डी0एस0)
विश्वविद्यालयों में–
(2012–2017)

1. प्रस्तावनाः

भारतवर्ष की खेलकूद में भागीदारी वर्ष 1900 में पेरिस में आयोजित ग्रीष्म ओलम्पिक्स में हुई जहाँ पर नॉर्मन प्रिचर्ड ने भाग लिया था। इसके द्वारा भारतीय ओलम्पिक सभा की स्थापना हुई जो 1927 में अस्तित्व में आई जिसके प्रथम अध्यक्ष, सर दोरबजी टाटा बने। वर्ष 1900 से लेकर आजतक अर्न्तराष्ट्रीय ओलम्पिक्स में भाग लेने के बावजूद भी 113 वर्ष की अवधि में भारत द्वारा जीते गए मैडल की कुल गिनती केवल 26 है जिसमें से 11 मैडल हॉकी के क्षेत्र में हैं। व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में इन 113 वर्षों के दौरान, केवल 01 स्वर्ण मैडल, 05 रजत मैडल एवं 09 कांस्य मैडल जीते गए हैं–जिनका जोड़ 15 आता है। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि एम्स्टरडम में वर्ष 1928 में ओलम्पिक्स में भारत का क्रम विन्यास 23 था जो वर्ष 2012 के लन्दन ओलम्पिक्स में घट कर 55 पर जा पहुँचा है। भारत वर्ष जो कि अन्य सभी क्षेत्रों में गतिशील है तथा सभी आर्थिक मानदण्ड़ो के अनुसार समुचित संवृद्धि दर्शाता है, जहां तक खेलकूद का संबंध है इनमें वह कई अन्य विकासशील देशों से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। यहां तक कि वर्तमान में, भारतीय खेल प्राधिकरण एवं युवा मामलों तक्षा खेलकूद मंत्रालय के सर्वोत्कृष्ट प्रयासों के बावजूद हमारा देश खेलकूद में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है।

वर्ष 1961 में प्रथम राष्ट्रीय स्तर का संस्थान ''नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान'', के रूप में स्थापित हुआ था–तथा ऐसी मान्यता थी कि एशिया में सर्वश्रेष्ठ है– यह संस्थान पटियाला की शाही नगर में स्थित था। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण वर्ष 1984 में स्थापित किया जिसके 07 क्षेत्रीय केन्द्र एवं 02 उप केन्द्र थे जिसके अतिरिक्त एक उच्च स्थल स्थित प्रशिक्षण केन्द्र हिमाचल प्रदेश में था। 02 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जो एस.ए.आइ. (स्पोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इन्डिया) द्वारा संचालित हैं, वे हैं ''नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान'', खेल संस्थान, पटियाला तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, तिरूअनन्तपुरम। भारत में खेलकूद को प्रोन्नत करने के लिए, भारत सरकार ने 1982 के एशियाई खेलों को आयोजित करने के लिए खेलकूद विभाग स्थापित किया जिसे बाद में वर्ष 1985 में युवा मामलों एवं खेलकूद विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया–जो वर्ष अर्न्तराष्ट्रीय युवा वर्ष था। वर्ष 2000 में यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया जिसमें युवा एवं खेल कूद विकास की देख रेख की जाने लगी। युवा मामलों एवं खेल कूद मंत्रालय लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर का संचालन भी करता है जहां से देश में खेलकूद विकास के लिए मानव संस्थान उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अर्न्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत द्वारा निराशाजनक निष्पादन का एवं प्रमुख कारण है– विशेषज्ञता युक्त संस्थानों का अभाव, जो कि खेल से जुड़े प्रतिभावान

लोगों के समग्र विकास हेतु, खेल वैज्ञानिकों द्वारा अर्न्तनिवेश उपलब्ध कराने हेतु, उचित मूल्यांकन, अनुशिक्षकों को अनुदेश द्वारा, पर्याप्त खेलकूद अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु, उचित मूल्यांकन, अनुशिक्षकों का अनुदेश द्वारा, पर्याप्त खेलकूद अवसंरचना उपलब्ध कराके, एक वैज्ञानिक रूप से किसी भी निष्पादन के अनुसार अध्ययन कराके–सक्रिय बने रहते हैं। गुरू नानक देव विश्वविद्यालय जो देश का ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय हैं जहाँ खेलकूद चिकित्सा संकाय है–वह भी इस देश के खेल से जुड़े व्यक्तियों को इष्टतम सहायता पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्थानों को विकसित करने के बावजूद खेल कूद से जुड़े व्यक्तियों को केवल प्राथमिक स्तर पर ही सेवाएं प्रदान कर पाया है।

समय की मांग यह है कि इस देश के युवाओं को एक मंच उपलब्ध कराया जाये ताकि विशेषज्ञों द्वारा समर्थित सेवाओं के साथ वृहत रूप से खेलकूद में भागीदारी को सुलभ बनाया जा सके और भारतीय युवा अर्न्तराष्ट्रीय खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। अवसंरचनात्मक सुविधाएँ/सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ उत्कृष्टता केन्द्र सृजित करना चाहता है जो न केवल हमारे यहाँ के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए सहायक प्रणाली के रूप में रहेगा बल्कि खेल वैज्ञानिकों के लिए एक संवर्धन स्थल के रूप में कार्यरत होगा जो अन्ततः भारत के खेल सम्मेलनों एवं संघों को विशाल रूप में मानव संसाधन उपलब्ध कराएगा। इस उद्देश्य से यूजीसी 05 विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभागों को चिह्नित करके उन्हें खेलों के विकास के उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में निर्दिष्ट करेगा।

2. उद्देश्यः

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कुछ चयनित विश्वविद्यालयों को सुसाध्य करना है जिससे वे उन सी0ई0डी0एस0 (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर डेवेलपमैन्ट ऑफ स्पोर्टस) विकसित कर सकें जिनमें खेल अवसंरचना तथा खेल विज्ञान पूरी तरह से आवृत्त बने रहे। इस उद्देश्य से यूजीसी, चयनित विश्वविद्यालयों को उदार रूप से अनुदान उपलब्ध कराएगा। इस अनुक्रम में विश्वविद्यालय/केन्द्र आशान्वित रूप से निम्न का निष्पादन करेंगेः–

(i) उच्चगुणवत्ता युक्त अवसंरचना उपलब्ध करा के क्षेत्र के खेल से जुड़े व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

(ii) खेलों से जुड़े व्यक्तियों के प्रतियोगिता–पूर्व मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराना,

(iii) खेलों में प्रशिक्षित मानव संसाघकों का एक विशाल संघ निर्माण करने के लिए अनुशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक मंच उपलब्ध कराना

(iv) निम्नांकित अकादमिक के पाठ्यक्रमों के संचालन हेतुः–

  अ) प्रथम डिग्री से लेकर शोध स्तर तक के पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए

  ब) खेल से जुड़े व्यक्तियों के लिए स्नातक स्तर पर लचीले पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना ताकि उनकी खेलकूद संबंधी गतिविधियों में कटौती न हो।

  स) खेलकूद वाले व्यक्तियों के लिए डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में संचालित करना।

(v) खेल विज्ञान एवं खेलों के क्षेत्र में बहु विषयक शोध हेतु मंच उपलब्ध कराना

(vi) स्वस्थ जीवन यापन एवं निरोगता के विषय में जन सामान्य के लिए शिक्षा पाठ्यक्रमों को उपब्ध कराना।

(vii) खेल से जुडे व्यक्तियो एवं समग्र रूप से समस्त समाज के प्रतिसापेक्ष अकादमिक पाठ्यक्रमों में उत्कृष्टता को प्रोन्नत करना।

(viii) उच्चतर अधिगम शैक्षिक संस्थानों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं खेलों के जो केन्द्र भारत में तथा विदेशों में स्थित हैं, उनके साथ नेटवर्क एवं सहभागिता।

(ix) खेल विज्ञान के क्षेत्र में देश में उपलब्ध जानकारी के एक भंडार के रूप में सेवा प्रदान करना।

3. लक्ष्यपरक समूह

समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्र द्वारा निधियन प्रदान मानित विश्वविद्यालय, एवं राज्य विश्वविद्यालय जो यूजीसी से विकास सहायता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिन्होंने खेलकूद के विकास के प्रति समुचित रूप से अवसंरचना विकसित की है, तथा उच्च गुणवत्तायुक्त शोध क्षमता का साक्ष्य प्रस्तुत किया है–वे इस परियोजना के अन्तर्गत यूजीसी द्वारा सहायता के लिए विचारधीन होंगे। 12 वीं योजना के दौरान पांच विश्वविद्यालयों को चिह्नित किया जाएगा।

4. पात्रता मानदण्ड

इस परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए यादि विश्वविद्यालय इच्छुक है तो उसके द्वारा निम्न मानदण्ड पूरे किए जाएँः–

(i) खेलो के प्रमुख विषयों में विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त खेलकूद अवसंरचना होनी चाहिए।

(ii) खेलों से संबद्ध लोगों के आकलन के लिए विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त खेल विज्ञान प्रयोगशालाएँ एवं पृष्ठभूमि तथा मानव संसाधन होने चाहिए।

(iii) विश्वविद्यालय ने ''ए'' श्रेणी, में राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं आकलन परिषद् से प्रत्यायन प्राप्त किया हो।

(iv) इस क्षेत्र में कार्यरत सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य को राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय निकायों/अकादमीशियनों द्वारा उचित रूप से मान्यता प्राप्त हो–अथवा उसके पास अन्य उपाधियों होनी चाहिए।

(v) पर्याप्त रूप में प्रकाशित सामग्रियों के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा शोध कार्य में दक्षता का निष्पादन किया गया हो।

(vi) खेल विज्ञान एवं खेलकूद के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञान संवर्धन में विभेदी योगदान किया गया हो।

5. सहायता का स्वरूप

इस परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत होगा।

(i) विश्वविद्यालय की वित्तीय सहायता पांच वर्षों तक की अवधि में 25 करोड़ तक सीमिति होगी।

(ii) विश्वविद्यालय को की जाने वाली निधियन परियोजना–उन्मुख होगी तथा विश्वविद्यालय एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर–डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) प्रस्तुत करेगा जिसमें इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख व्यय के मद चिह्नित होंगे।

(iii) परियोजना के अन्तर्गत अनुदान का उपयोग निम्न गतिविधियों के लिए किया जाएगाः–

- क) खेल विज्ञान एवं खेलों के क्षेत्र में शोध संचालित करने के लिए
- ख) परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अतिरिक्त अकादमिक/शोद्य स्टाफ़ के वेतन व्यय का भार वहन करने के लिए
- ग) परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान उपकरण/पुस्तकालय संसाधन/कार्यकारी व्यय पर किए जाने वाले व्यय का वहन करने के लिए
- घ) सम्बन्धित विषय क्षेत्रों में सकाय विकास कार्यक्रम एवं सम्मेलन संचालित करने के लिए।
- ड़) पहले से उपलब्ध भौतिक अवसंरचना को नई अवसंरचना द्वारा सुसाध्य बनाने के लिए
- च) खेल विज्ञान एवं खेलकूद औषधि प्रयोगशालाओं आदि विकसित करने के लिए

(iv) अनुदान का उपयोग प्रत्येक स्थिति में, विशेषज्ञ समिति द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित बजट एवं कार्य योजना के अनुसार किया जाएगा।

6. प्रस्ताव आमन्त्रित करना

परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाएगें परियोजना के बारे में घोषणाएँ, यूजीसी वेबसाइट तथा अन्य रूप से की जाएँगी। अनुलग्नक–I

7. परियोजना के लिए समितियांः–

निम्न समितियाँ होंगीः–

अ) स्थायी समिति

अध्यक्ष, यूजीसी, एक स्थायी समिति गठित करेंगे जो निम्नवत गठित होगीः

(i)	आयोग का सदस्य	प्रमुख (चेयरपरसन)
(ii)	खेल/खेल औषधि/खेल विज्ञान के क्षेत्र से तीन विशेषज्ञ	सदस्य
(iii)	एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल संस्थान से एक प्रसिद्ध व्यक्ति	सदस्य
(iv)	यूजीसी अधिकारी	सदस्य सचिव

स्थायी समिति प्रस्तावों को सूची–बद्ध करने के लिए प्राथमिक जांच करेगी तथा 10–15 विश्वविद्यालयों को विशेषज्ञ समिति द्वारा दौरे के लिए चिह्नित करेगी। स्थायी समिति विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट के परीक्षण के लिए प्रमापी विकसित करेगी तथा इनमें से पांच विश्वविद्यालयों को इस परियोजना के अन्तर्गत आयोग द्वारा विचार सहायता के लिए अनुशंसित करेगी। स्थायी समिति विभिन्न केन्द्रों की प्रगति का सर्वेक्षण करने के लिए मध्यावधि सर्वेक्षण कराएगी।

ब) विशेषज्ञ समिति

विशेषज्ञ समिति विस्तृत परियोजना रिपार्ट (डी0पी0आर0) पर विचार करेगी तथा विश्वविद्यालय की प्रस्तावित कार्य योजना पर विचार करेगी–यह विचार समस्त पणधारियों से मिलकर परामर्श द्वारा किया जाएगा तथा कार्य योजना और व्यय शीर्षों को अन्तिम रूप प्रदान किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं को स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

स) परामर्श समितिः

परामर्श समिति का गठन चयनित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इस परियोजना के अन्तर्गत किया जाएगा तथा इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी। विश्वविद्यालयों में विभिन्न सुविधाएँ करने के लिए समिति परामर्श प्रदान करेगी तथा आरम्भ किए जा रहे अकादमिक पाठ्यक्रमों एवं संचालित किए जा रहे शोध कार्य का सर्वेक्षण करेगी।

परामर्श समिति के गठन का विवरण निम्नवत हैः–

(i)	विश्वविद्यालय का कुलपति	अध्यक्ष
(ii)	दो विशेषज्ञ (अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा नामित)	सदस्य
(iii)	दो अकादमिक विद्वान–दो सापेक्ष क्षेत्रों में– (कुलपति द्वारा नामित)	सदस्य
(iv)	केन्द्र का निदेशक (कुलपति द्वारा नियुक्त)	सदस्य–सचिव

8. यूजीसी द्वारा प्रणाली के अनुमोदन की विधिः

यूजीसी, इच्छुक विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमन्त्रित करेगा–तथा इसके लिए यूजीसी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी अथवा विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र भेजा जाएगा। इच्छुक विश्वविद्यालय, निर्धारित प्रारूप में अपने प्रस्ताव भेजेंगे तथा उसके साथ विस्तृत डी.पी.आर. (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तथा प्रस्तावित कार्य योजना तथा व्यय के मद संलग्न किए जाएंगे। प्रस्तावों की पड़ताल एक स्थायी समिति द्वारा अथवा स्थायी समिति द्वारा गठित एक उप–समिति द्वारा की जाएगी। उप–समिति में बाहरी विशेषज्ञ भी सहयोजित किए जाँए यदि स्थायी समिति ऐसा विचार रखती है। 10–15 विश्वविद्यालयों को प्रस्ताव की विशेषता के आधार पर तथा स्थायी समिति द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर विकसित किए गए प्राचलों के आधार पर, स्थायी समिति चिह्नित करेगी। चिह्नित विश्वविद्यालयों का दौरा एक विशेषज्ञ समिति करेगी। प्रस्तावों के आकलन में अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए वही

विशेषज्ञ समिति समस्त चिह्नित विश्वविद्यालयों का दौरा करेगी। चयनित प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखे जाएंगें जो उन प्राचलों के आधार पर–जिन्हें समिति ने विकसित किया है– विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करेगी तथा आयोग के अनुमोदन हेतु 05 प्रस्तावों को अनुशंसित करेगी।

9. अनुदान जारी करने की विधि

परियोजना के अन्तर्गत चयनित विश्वविद्यालय को, आयोग द्वारा आवंटित अनुदान का 50% (उपकरण अनुदान के अतिरिक्त) प्रथम किस्त के रूप में जारी किया जाएगा। तत्पश्चात उपकरण हेतु अनुदान की प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात कुल आवंटित राशि की 40% राशि द्वितीय किस्त के रूप में जारी की जाएगी। अनुदान की अन्तिम किस्त की अनुदान राशि–अर्थात 10 प्रतिशत अनुदान, निमार्ण संबंधी परियोजनाओं के विषय में, कुल आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण प्रत्र मिलने पर तथा समापन दस्तावेज़ मिलने पर ही जारी की जाएगी। उपकरणों के क्रय के लिए शत प्रतिशत अनुदान एक ही बार में प्रदान किया जाएगा–यदि उपकरणों की भौतिक रूप से व्यवस्था हो जाती है तथा इस आशय की सूचना विश्वविद्यालय से मिल जाती है। यदि किसी स्थिति में भौतिक अवसंरचना उन उपकरणों की व्यवस्था के लिए प्रभावी रूप से पहले से ही पूरी है तथा इस आशय की सूचना चयनित विश्वविद्यालय से उपकरण अनुदान जारी करने के लिए प्राप्त होती है तो यूजीसी पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में ही उपकरण अनुदान जारी कर देगी।

10. प्रगति के सर्वेक्षण की विधि

10.1 परामर्श समिति की बैठक का कार्यवृत्त एवं केन्द्र की गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट यूजीसी को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी।

10.2 प्रति दो वर्षों के अन्त में परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति का पुनरीक्षण स्थायी समिति द्वारा मुख्यालय में किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रस्तुतीकरण के माध्यम से की गई गतिविधियों को प्रमुख रूप से उजागर करेगा तथा अयोग किए गए अनुदान का विवरण व्यक्त करेगा। यदि स्थायी समिति कार्य में की गई प्रगति से सन्तुष्ट नहीं है तो एक विशेषज्ञ समिति के गठन की अनुशंसा कर सकती है कि वह समिति उस विश्वविद्यालय का निरीक्षण तत्काल वहाँ जाकर करे। स्थायी समिति उस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगी तथा उसे आधार बनाकर उस केन्द्र के अनुवर्तन अथवा समापन के विषय में निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा आयोग को प्रस्तुत करेगी।

11. केन्द्र का निवर्तन

11.1 मध्यावधि सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप यदि आयोग इस बात के प्रति सन्तुष्ट होता है कि विश्वविद्यालय ने प्रभावी रूप से परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया है तथा उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम प्रस्तुत नहीं हुए हैं तो आयोग इस परियोजना के अन्तर्गत सहायता का निवर्तन कर सकता है।

11.2 यदि विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं आंकड़े जिन्हें सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया हैं'–यदि बाद में वे असत्य पाए जाते हैं तो उस स्थिति में यूजीसी उस केन्द्र को प्रदान की जा रही अनुदान राशि का निवर्तन कर सकता है। ऐसी स्थिति में उस विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई समस्त अनुदान राशि की दण्डात्मक ब्याज सहित आयोग को प्रतिपूर्ति करनी होगी।

11.3 यदि निधियन का ग़बन अथवा दुरूपयोग किया जाता है तो इस स्थिति में केन्द्र को दी जाने वाली सहायता निवर्तित की जाएगी। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को न केवल समस्त जारी किया गया परियोजना के अन्तर्गत अनुदान दण्डात्मक ब्याज सहित लौटानी पड़ेगी बल्कि अन्य उचित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जो यूजीसी द्वारा की जा सकती है। विश्वविद्यालय को कालीसूची में शामिल किया जा सकता है तथा उसे यूजीसी की अन्य किसी भी परियोजना में भागीदारी की अनुमति नहीं होगी।

11.4 यदि किसी भी कारण से केन्द्र की सहायता को एक बार निवर्तित कर दिया जाता है तो उसका पुनः प्रवर्तन नहीं किया जाएगा।

12. केन्द्र की प्रशासनिक संरचना

12.1 केन्द्र की अध्यक्षता एक निदेशक करेगा जो प्रोफ़ेसर की श्रेणी वाला होगा तथा खेलकूद/खेल औषधि/खोज विज्ञान के क्षेत्र में होगा।

12.2 निदेशक को सहायता प्रदान करने के लिए दो उप–निदेशक होंगे जो सह–प्रोफ़ेसर श्रेणी के एवं खेलों/खेल औषधि/खेल विज्ञान के क्षेत्र में होंगे।

12.3 केन्द्र को 2–3 वैज्ञानिक अधिकारियों/तकनीकी अधिकारियों का समर्थन मिलेगा।

12.4 स्टाफ़ के लिए यूजीसी सहायता इस पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन की तिथि से पांच वर्षों तक की होगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी को इस आशय की एक प्रतिबद्धता इन पदो के अनुरक्षण के बारे में प्रदान करनी होगी तथा इन पदों पर नियुक्तियों से पूर्व इसे प्रदान करना होगा।

अनुलग्नक–I

खेल विकास परियोजना के अन्तर्गत इत्कृष्टता के लिए सहायता (सपोर्ट अन्डर दी सेन्टर ऑफ एक्सीलैन्स फॉर डेवेलपमेन्ट ऑफ स्पोर्टस स्कीम (सी.ई.डी.एस.)

1. अ) विश्वविद्यालय का नाम व पताः–

   ब) विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नाम व पताः–

2. स्थापना का वर्षः

3. विश्वविद्यालय का प्रारूपः

   केन्द्रीय विश्वविद्यालय

   राज्य विश्वविद्यालय

   मानित विश्वविद्यालय

4. सम्प्रेषण विवरण

विवरण कृपया प्रत्येक में पदधारी का नाम स्पष्ट करें	दूरभाष. सं. भूतल / मोबाइल	फैक्स नं.	ई –मेल आई डी
उप कुलपति			
कुलसचिव			

5. प्रत्यायन विवरणः–
   अ) प्रत्यायन की तिथि/पुर्नः प्रत्यायन
   ब) ग्रेड
   स) सीजीपी.ए
   ड़) प्रत्यायन की वैधता/पुर्नःप्रत्यायन

6. ''आइ.क्यू.ए.सी'' के अन्तर्गत क्या
   गुणवत्ता धारिता एवं संवर्द्धन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई हाँ नहीं

7. विभागों का विवरणः–

कुल विभागों का विवरण	भागीदारी करने वाले कुल विभागों की संख्या		
	एस.ए.पी	सी.पी.ई.पी.ए.	राष्ट्रीय सुविधा युक्त

8. चिह्नित विभागों के संकाय सदस्यों में से किसी को राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय रूप से मान्यता दी गई? हाँ/नहीं

   यदि हाँ तो उनके नाम एवं पद दें तथा उनकी मान्यता के स्वरूप को संदिर्भत करें।

9. गत 5 वर्षों में सी0ई0डी0एस0 परियोजना के अंतर्गत खेल विभाग/खेल विज्ञान विभाग/खेल औषधि विभाग में किए जा रहे शोध कार्य की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाए तथा विवरण दें : स्वीकृत स्टाफ बल के अनुसार वर्तमान कार्यरत अध्यापकों की संख्या, कितने पी0एच0डी0 तैयार हुए, कितनों को मिली, शोध प्रकाशन, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ जिनमें भागीदारी की गई–सं, जितनी संचालित हुई–सं, विभागों में नेट अर्हता प्राप्त प्रत्याशी, संकायों को मिले एवार्ड (राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय), परामर्श, विस्तारण गतिविधियाँ तथा कोई अन्य गतिविधियाँ जिन्हें, यूजीसी द्वारा अपने विभाग को इस परियोजना में विचाराधीन रखने के लिए–वह यूजीसी के समक्ष रखना चाहता है।

10. निम्न श्रेणियों के अंतर्गत विश्वविद्यालय में प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्चा (पृथक रूप से संलग्न करें–अंतर–विषयक प्रकार के अकादमिक पाठ्यक्रम, जो आरेखित हैः)

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमों की संख्या	कुल छात्रों की संख्या
स्नातक पूर्व		
स्नातकोत्तर		
एम0फिल0		
पीएच0डी0		
प्रमाण पत्र		
डिप्लोमा		
स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
अन्य कोई विशिष्ट रूप से बताएँ		

11. यदि कोई स्व–वित्त पोषित अकादमिक पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्चा जो विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत की होः–

पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रमों की संख्या	कुल छात्रों की संख्या	गतवर्ष की प्रजनित निधि
स्नातक पूर्व			
स्नातकोत्तर			
एमफ़िल			
पीएच.डी.			
प्रमाण पत्र			
डिप्लोमा			

स्नातकोत्तर डिप्लोमा			
अन्य कोई			

12. गत पाँच वर्षों में, यूजीसी–सी0एस0आई0आर0/गेट अर्हता प्राप्त ऐसे छात्रों की संख्या जिन्होंने विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए पंजीकरण कराया है।

13. अध्यापन संकायः
    13.1 स्वीकृत पदों की कुल संख्या
    13.2 भरे गए पदों की कुल संख्या
    13.3 रिक्त पदों की कुल संख्या
    13.4 स्वीकृत पदो ंके समक्ष रिक्तियों की प्रतिशतता

14. गत पाँच वर्षों की अवधि में भर्ती किए गए संकाय सदस्य, दिनाँकः

वर्ष	उसी राज्य से		अन्य राज्य से
	वही संस्थान	अन्य संस्थान	

15. शिक्षकों द्वारा उनके विषय क्षेत्रों में उन्हें अद्यतन विकास के विषय में अग्रणी रहने के लिए, उपलब्ध सुविधाएँ एवं हाथ में लिए गए गतिविधियाँ।

16. अध्यापन एवं शोध के लिए कौन से राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय संयोजन स्थापित किए गए हैं।

17. एवार्ड/मान्यता/अध्येतावृत्तियाँ प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या क्या हैः
    - राष्ट्रीय :
    - अंर्न्तराष्ट्रीय :

18. निम्न सूची में से विश्वविद्यालय में उपलब्ध सहायक सेवाओं को चिह्नित करें
    केन्द्रीय पुस्तकालय : ☐
    विभागीय पुस्तकालय : ☐

कंप्यूटर केन्द्र	:	☐
इन्टरनेट सुविधा	:	☐
स्वास्थ्य केन्द्र	:	☐
खेलकूद सुविधाएँ	:	☐
प्रेस		☐
कार्यशाला		☐
छात्रावास		☐
अतिथि गृह		☐
परिसर आवासन		☐
कैन्टीन		☐
शिकायत निवारण प्रकोष्ठ		☐
प्रशिक्षण एवं स्थापन प्रकोष्ठ		☐
गैर–आवासी केन्द्र		☐
आइ0सी0टी0–एक अधिगम संसाधन		☐
अन्य कोई (विशिष्ट रूप से कहें)		☐

सी0ई0डी0एस0 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियाँ

1.0 प्रस्तावित शोध पाठ्यक्रम

1.1 यदि विश्वविद्यालय सी0ई0डी0एस0 परियोजना के अंतर्गत चयनित होता है तो उस विश्वविद्यालय में प्रस्तावित अन्तर–बहु विषयक शोध–पाठ्यक्रम एवं अकादमिक पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हैं–उनकी विस्तृत रूपरेखा क्या है? इसे उपलब्ध कराएँ–इसके साथ ही बताएँ कि इस कार्य में विश्वविद्यालय के जो विभाग सम्मिलित हो रहे हैं उनकी भूमिकाओं एवं दायित्वों का प्रस्तावित विभाजन क्या है तथा उनकी पूर्वानुमानित समय योजना एवं कार्य योजना क्या है?

1.2 यदि सी0ई0डी0एस0 परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय का चयन किया गया है, तो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य योजना एवं शोध पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित बजट–जिसमें गैर–आवर्ती एवं आवर्ती अनिवार्यताएँ आवृत्त है–उसे बताएँ।

1.3 खेल विज्ञान औषधि के क्षेत्र में शोध एवं अनुप्रयोग गतिविधियों का विवरण।

1.3 अः

विषय	शोधका क्षेत्र	प्रकाशनों की संख्या	
		राष्ट्रीय	अर्न्तराष्ट्रीय

1.3 बः

प्रतियोगिता का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजकों को उपलब्ध कराई गई सहायता	क्या क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय है

1.4 खेल विज्ञान के अन्तर्गत शोध एवं अनुप्रयोग गतिविधियों का विवरण

1.4 अः

विषय	शोधका क्षेत्र	प्रकाशनों की संख्या	
		राष्ट्रीय	अर्न्तराष्ट्रीय

1.4 बः

प्रतियोगिता का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजकों को उपलब्ध सहायता का स्वरूप	क्या क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय

1.5 खेल के अन्तर्गत शोध एवं अनुप्रयोग गतिविधियों का विवरण

1.5 अः

विषय	शोधका क्षेत्र	प्रकाशनों की संख्या	
		राष्ट्रीय	अर्न्तराष्ट्रीय

1.5 बः

प्रतियोगिता का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजकों को उपलब्ध सहायता का स्वरूप	क्या क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय

1.6 विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेलकूद अवसंरचना का विवरण

क्र.सं.	खेल का नाम	उपलब्ध अवसंरचना

1.7 गत तीन वर्षों में खेलों में भागीदारी करने वाले छात्रों की संख्या।

क्र.सं.	खेल	कुल भागीदारी	वर्ष

1.8 खेलों/खेल चिकित्सा/खेल विज्ञानों के क्षेत्रों में संकाय द्वारा जीते गए प्रतिष्ठाएँ/ प्रतिष्ठाएँ/एवार्ड/अध्येतावृत्तियों

संकाय का नाम	एवार्ड/ अध्येतावृत्ति/ प्रतिष्ठा	वर्ष	सम्मेलन/अकादमी का नाम

1.9 खेलों/खेल चिकित्सा/खेल विज्ञानों के क्षेत्रों में अकादमिक/व्यावसायिक निकायों की सदस्यता

संकाय का नाम	सदस्यता का प्रारूप	वर्ष	अकादमिक व्यावसायिक निकाय का नाम

1.10 खेलों/खेल चिकित्सा खेल विज्ञानों के अन्तर्गत मौजूद प्रयोगशाला

प्रयोगशाला का नाम	उपलब्ध उपकरण

1.11 खेलों/खेल चिकित्सा/खेल विज्ञानों के क्षेत्र में संचालित अकादमिक पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम का नाम	समारम्भ करने का वर्ष	पाठ्यक्रम की अवधि	छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या

1.12 खेल निदेशालय/शारीरिक शिक्षा विभाग/सापेक्ष विभागों के अन्तर्गत उपलब्ध मानव संसाधन

	संख्या	कार्य भार ग्रहण की तिथि
निदेशक		
उप–निदेशक		
सह–निदेशक		
अन्य कोई		

अनुशिक्षक (संख्या)	खेल	एस.ए.आई	विश्वविद्यालय	कार्य ग्रहण करने की तथि

1.13 अन्तर विश्वविद्यालय खेलों एवं उपरोक्त में विश्वविद्यालय एवं उससे ऊपर स्तर से प्राप्त मेडलों का कुल जोड़

वर्ष	खेल	भागीदारी	मेडल

1.14 प्रयोगशालाएँ/उपकरण जिन्हें खेलों/खेज चिकित्सा/खेल विज्ञान के अन्तर्गत क्रय किया जाना है

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	आवश्यक उपकरण	आवश्यक निधि

1.15. सी.ई.डी.एस. परियोजना के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली प्रस्तावित खेलकूद अवसंरचना

क्र.सं.	खेल	आवश्यक अवसंरचना	आवश्यक निधि

1.16. प्रस्तावित अकादमिक पाठ्यक्रम

क्र.सं.	अकादमिक पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रस्तावित छात्र अर्न्तग्रहण	सांविधिक अनुमोदनकर्ता निकाय का नाम–यदि कोई ऐसा निकाय है।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रस्ताव एवं इसके अनुलग्नकों में उपलब्ध सूचना हमारे सर्वोच्च संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। इस प्रस्ताव एवं उसके अनुलग्नकों के अन्तर्गत किसी भी असत्य अथवा ग़लत सूचना उपलब्ध कराने के परिणाओं से हम परिचित हैं।

कुल सचिव

(हस्ताक्षर सील सहित)

उप–कुलपति

(हस्ताक्षर सील सहित)

स्थानः

तिथि

गद सं. 4.01 का अनुलग्नक– III

स्नातकों के लिए पाठ्य विवरण

पाठ्यक्रम का ढ़ाँचा

1. सामान्य कुशलता, स्वास्थ्य एवं स्वास्थय विज्ञान
2. शारीरिक क्षमता एवं योग
3. भोजन एवं पौष्टिकता
4. प्राथमिक उपचार
5. रोग

एकांक–I सामान्य सकुशलता, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान

- सामान्य सकुशलता
  - O सकुशलता को किस रूप में परिमाणित किया जा रहा है?
  - O दैनिक जीवन में सकुशलता का महत्व तथा समाज पर इसका प्रभाव
- स्वास्थ्य शिक्षा
  - O इसका तात्पर्य एवं महत्व
  - O स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूकता प्रदान करने में मिडिया की भूमिका
  - O सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान
  - O इसका तात्पर्य एवं महत्व–व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान को प्रभावित करने वाले घटक
  - O रोगो के साथ स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध क्या है?
  - O संक्रामक रोगों की रोकथाम, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिशानिर्देशों के अनुसार टीकाकरण, जल–वाहित रोग एवं उनका निराकरण
  - O हाथ–धोकर रखना इसका महत्व, हस्त प्रक्षालन के चरण, रोगों के साथ हस्त–प्रक्षालन का संबंध
  - O त्वचा की, बालों, नाखूनों, दांतों, नेत्रों एवं कानों की देख रेख

एकाक –II शारीरिक क्षमता एवं योग

- शारीरिक क्षमता एवं इसके घटकों की संकल्पना

- खेलों एवं सामान्य जनसंख्या के शारीरिक क्षमता का महत्व
- विभिन्न आयु वर्गों के लिए दैनिक व्यायाम की अनुशंसाएँ एवं इसके लाभ (चलने का, साईकिल चलाने एवं तैरने का महत्व)
- जीवन शैली में आने वाले रोगों के निवारण के लिए विभिन्न शारीरिक क्रियाओं की (अंगड़ाई, शक्ति सहन–शक्ति फुरती एवं लचीलापन का महत्व अनुशंसाएँ)
- योग की संकल्पना एवं ऐतिहासिक विकास
- योग के प्रारूप
- योग का महत्व एवं दैनिक जीवन में इनके लाभ

एकक–III भोजन एवं पौष्टिकता

- स्वास्थ्य वर्धक खुराक/आहार का आधार
- भोजन सूची स्तम्भ
- संतुलित खुराक/आहार एवं इसके संघटक
- संतुलित आहार का महत्व
- फलों एवं सब्जियों के स्वास्थय संबंधी लाभ
    - o रोगो से शरीर का बचाव कैसे करते है? (मधुमेह, हृदय रोग, कैन्सर, उच्च–रक्त चाप)
    - o दैनिक आहार में तन्तुक ग्रहण करने का महत्व
- मांस एवं मुर्गी–पालक उत्पादों के स्वास्थ्य संबंधी लाभ
- दूध एवं इसके उत्पादों के स्वास्थ्य संबंधी लाभ
- भोजन पकाने का तेल
    - o ''कॉलैस्ट्रोल'' स्वास्थ्य पर इसके लाभ एवं हानियां
    - o स्वास्थ्य वर्धक तेल–कुसुम/करड़ी तेल, सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल/मूंगफली, जैतून का तेल सोयाबीन का तेल सरसों का तेल
    - o अस्वास्थ्य दायक भोजन पकाने का तेलः घी, मक्खन, वनस्पति
    - o श्रेष्ठ वसा क्या है? ''मुफ़ा'' (मोनो सेचुरेटिड फैटीएसिड) इसका ''कॉलोस्ट्रोल'' स्तर पर क्या प्रभाव पडता है?
    - o अनुपयुक्त–''पुफ़ा'' (पॉली अनसैचुरेटिड फ़ैटी एसिड) का प्रभाव कालोस्ट्रोल स्तर पर क्या है?

- **विटामिन**
    - दैनिक जीवन में विटामिनों के लाभ
    - वसा–घुलनशील विटामिन ए.डी.ई. एव ंके–प्रत्येक के लिए फलों एवं सब्जियों के संसाधन सूची
    - जल–घुलनशील विटामिन ''बी'' कॉम्लेक्स एवं विटामिन ''सी'' प्रत्येक के लिए फलों एवं सब्जियों के संसाधन
- **जल**
    - शरीर में जल की मात्रा ''होमियो स्टासिज़'' अनुरक्षित करने में जल की भूमिका
    - तरल एवं ''एलैक्ट्रोलाइट'' शेष

एकक–IV प्राथमिक उपचार

- प्राथमिक उपचार की जानकारी–
  चोट, कटने, जले का, रक्त स्त्राव एवं आघातः कारण एवं नियंत्रण
- ''सी0पी0आर0''–इसका महत्व एवं व्यावहारिक ज्ञान
- गर्माहट एवं ठंडक से होने वाले घाव एवं रोग–इनका निवारण
- आपदा प्रबन्धन, आपातकाली कदम एवं नियोजन
- ''प्राइसर'' (पी0आर0आई0सी0आर0) (प्रीवेन्शन–रेस्ट, आइस, कम्प्रेशन, एलीवेशन एवं रिहैबिलीटेशन) (निराकरण, विश्राम, बर्फ, दबाव, उत्तोलन, पुर्नवास)

एकक–V रोग

- **हीनता के रोग (परिभाषा एवं रोगों की सूची)**
    - रक्त क्षीणता (एनीमिया)
      परिभाषा, कारण, लक्षण एवं चिह्न, उपचार
    - विटामिन एवं खनिज हीनताओं के प्रभावों की सूची

- **जीवन शैली विकार (परिभाषाएँ एवं रोगों की सूची)**
    - हृदयवाहिका (कार्डियो वैस्क्यूलर) रोग
      रोगों की सूची–उच्च रक्त चाप, हृदयधमनी हृदय रोग,
      व्यायाम के कारण पक्षाघात का प्रभाव (स्ट्रोक इफैक्ट ऑफ एक्सरसाइज, एवं हृदयवाहिका रोगों में खुराक का नियन्त्रण)
    - मधुमेह (डायबिटीज)

परिभाषा, स्वास्थ्य पर मधुमेह के दुष्प्रभाव, मधुमेह के निवारण एवं नियंत्रण करने में व्यायाम एवं खुराक की भूमिका

- मोटापा (ओबिसिटी)
  परिभाषा, जोखिम वाली बातें, स्वास्थ्य पर मोटेपन के दुष्प्रभाव,
  (मधुमेह, उच्च रक्त चाप, अस्थि छिद्रिलता,)
  (डायबिटीज, हाइपरटैन्शन, ओस्टियों पोरेसिस)
  जीवनशैली में सुधारों द्वारा तथा मोटेपन के निराकरण एवं नियंत्रण द्वारा तथा उसके दूरगामी परिणामों से बचकर इससे बचा जा सकता है।
- जीवनशैली से जुड़े रोग
  भंगिमा पर नियंत्रण तथा पेशियों का ज्ञान रखना, ग्रीवा ''स्पोन्डायलेसिस'' ''आस्टो आरथ्राईटिस'' पीठ दर्द एवं उसके कारण, सामान्य ''मस्क्यूओ स्केलटल डिसंओर्डर्स''
- औषधि दुरूपयोग, सिगरेट पीना, मदिरा पान के दुष्परिणाम एवं लत

- **संक्रामक रोग (परिभाषाएँ एवं रोगो की सूची)**
  (लक्षणों के विषय में तथा उपचार के बारे में संक्षेप से बताना)
  - क्षय रोग
  - कुष्ठ रोग
  - मलेरिया
  - डेंगू
  - चिकनगुनिया
  - (टायफायड) आन्त्र ज्वर
  - खसरा
  - पोलियामाइलिटिस
  - एच0आई0वी0, एड्स एवं एस0टी0डी0
  - हेपेटाइटिस
  - स्वाइन फ्लू
  - रेबीज़

स्नातकोत्तर के लिए पाठ्य विवरण

पाठ्यक्रम का ढाँचा

1. स्वास्थय एवं शारीरिक तन्दरुस्ती
2. खाद्य एवं पोषण
3. आपातकालीन देखरेख/आपातकालीन सेवाएँ एवं घोर संकट का नियंत्रण करना
4. रोग

एकक–I स्वास्थ्य एवं शारीरिक तन्तरूस्ती

- स्वास्थ्य एवं चुस्त दुरूस्त होने की परिभाषा, स्वास्थ्य एवं दुरूस्त होने को प्रभावित करने वाले घटक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य
- तनावः परिभाषा, प्रारूप, प्रबन्धन एवं व्यायाम की भागीदारी
- चुस्ती रहना
    - o परिभाषाः– अंगडाई, ज़ोर आज़माना, वायुजीवी एवं अ–वायुजीवी व्यायाम
    - o शारीरिक रूप से चुस्त जीवन शैली के ऐसे मूलभूत घटक जो मोटापन का आस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग एवं मधुमेह का निवारण करते है।
    - o व्यायाम के दिशनिर्देशः– हृद–धमनी व्यायाम, शक्ति एवं लचीलापन युक्त व्यायाम/मनोदैहिक रोगो के लिए व्यायाम
    - o दिशानिर्देश तैयार करेंः सघनता, अवधि एवं बारंबारता

एकक–II भोजन एवं पोषण

- **पोषण एवं व्यायाम**
  वायुजीवी एवं अ–वायुजीवी व्यायामों के लिए ऊर्जा आवश्यकता, जल एवं निर्जलन, जीवन शैली से जुडे, रोग निवारण करने के लिए व्यायाम का महत्व–जैसे कि मधुमेह, सीवीडी, उच्च रक्तचाप उपापाचयी लक्षण, मोटापन एवं ओस्टियोपोरोसिस
- **वसाः**
  परिभाषा, पकार्य, संसाधन एवं वर्गीकरण
- **वसाकाय**
  परिभाषा, प्रकार्य, संसाधन, वर्गीकरण क्लास्टोरल एवं स्वास्थ्य के रख रखाव में इसका महत्व वसाकाय स्तर के रख रखाव में व्यायाम की भूमिका

- **प्रोटीनः**
  परिभाषाँए, प्रकार्य, संसाधन एवं वर्गीकरण
- **खेलकूद पोषण**
  व्यायामी खिलाड़ियों के लिए, इरगोजैनिक सहायक उपकरण, ऐसी नशीली औषधियों के समूह जिन्हें WADA नियमों के अंतर्गत प्रतिबन्धित किया गया है।
- **विटामिन**
  - विटामिन ए0डी0ई0 के–प्रकार्य, शारीरिक क्रियाएँ, संसाधन आर0डी0ए0, कमी, विषाक्तता
  - थियामीन, राइबोफ्लावीन, बी 12, फोलिक एसिड, पासरीडॉक्साइन, पैन्टोथीनीक एसिड, नियासीन, बायोटीन, एसेर्बिक एसिड,–प्रकार्य, शारीरिक क्रियाएँ, संसाधन, आर0डी0ए0 कमी, विषाक्तता
- कैलशियमः शरीर की पाचन प्रक्रिया में वितरित होना, समावेशन, न्यूनता, विषाक्तता, स्त्रोत, आर0डी0ए0, कैलशियम संकेन्द्रित होना को नियमित करना।
- लौह तत्व वितरणः शरीर में संकेन्द्रित हो जाना, पाचन, स्त्रोत, आर0डी0ए0, न्यूनता, अल्परक्तता निवारण में लौह तत्व की भूमिका
- सूक्ष्म–पोषक–भोजन में भूमिका एवं महत्व
- जलः संतुलन, क्रियाएँ, जल योजन, एवं विभिन्न मौसमों में जल की न्यूवता एवं व्यायाम के दौरान न्यूनता, जल से पूर्ति करना, गर्मी से छुटकारा लेना

एकक–III आपातकालीन प्रबन्धन

- आपातकालीन देखरेख
  - हृदय फुफ्फुसीय पुनुरूज्जीवित करना
  - आघात प्रबन्धन
  - आन्तरिक एवं वाह्रा रक्त स्त्राव
  - खप्पची बाँधना
  - स्ट्रेचर प्रयोग–संभालना, अन्तरित करना, बिस्तर खाली करना
  - सिर एवं गले पर हुए घावों के लिए शुरूआती कदम
  - मिर्गी को नियंत्रित करने के लिए शुरूआती कदम
  - जल जाने पर नियन्त्रित करने के शुरूआती कदम
  - नकसीर फूटने को नियंत्रित करने के शुरूआती कदम

- **आपातकालीन सेवाएँ एवं आपदा प्रबन्धन**
    - o आपातकालीन सेवाओं का क्षेत्र
    - o आपातकालीन सेवाओं के नियोजन के सिद्धान्त
    - o आपातकालीन प्रभाग
    - o जोखिमों के प्रारूप/प्राकृतिक आपदाएँ/भयंकर विपत्ति एवं इसका प्रबन्धन

एकक–IV रोग

- **जीवन शैली के रोग**
    - o हृदय–धमनीय प्रणाली के रोग, सी0वी0डी0 के जोखिम घटक, शारीरिक अवस्था, जोखिम के घटक, लक्षण एवं एथीरोस्क्लेरोसिस का भोजन परक प्रबन्धन, आइशैमिक हार्ट डिसीज, दौरा, डिस–लिपिडेमिया, जीवन शैली सुधारों द्वारा निराकण
    - o अतिरक्तचाप–वर्गीकरण, व्यापकता, अतिरक्तचाप को दुष्प्रभावित करने वाले भोजन संबंधी घटक, अतिरक्तचाप को नियन्त्रित करना
    - o मोटापन–परिभाषा, मोटेपन के कारण, जीवन शैली के अन्य रोगों के साथ मोटेपन का संबंध क्या है, बी0एम0आइ0, बी0एम0आई0 के अनुसार वर्गीकरण, मोटेपन में खुराक पर नियन्त्रण करना, मोटेपन को नियन्त्रित करने में व्यायाम का प्रभाव
    - o डायबिटीज मेलिटिज–निदान शास्त्र, प्रकार, चिह्न, रोग निदान, कठिनाइयों एवं उपचार का महत्व, खुराक/भोजन को नियमित करना एवं जीवन शैली में सुधारों तथा मधुमेह को नियन्त्रित करना।
    - o मानसिक स्वास्थय एवं तनाव प्रबन्धन
    - o नशीले पदार्थों की लत, सिगरेट, मदिरापान, के परिणामतः प्रभाव,

- **हीन बद्धता रोग (हिस्टो पैथोलोजी, चिकित्सीय विशिष्टताओं, जाँच–पड़ताल, उपचार)**
    - o कुपोषण–कारण, पारिस्थितिक घटक, कुपोषण के दुष्प्रभाव, प्रोटीन का अभाव, पेम (पी0ई0एम0) क्वाशियोकरर–बारंबारता, पोषण संबंधी शिक्षा एवं कुपोषण से बचने के लिए उपाय
    - o पोषण संबंध रक्तक्षीणता–परिभाषा, कारण, चिह्न एवं रोग लक्षण, इस कमी का उपचार कैसे करें
    - o मूलभूत पड़ताल–एच0बी0, टी0एल0सी0, डी0एल0सी0, ई0एस0आर0, आम मूत्र एवं मल परीक्षण, विस्तृत स्वास्थय जाँच ताकि रोगों का निवारण हो सके।

- **संक्रामक रोग (निदान विशेषताओं की विस्तृत जानकारी, जाँच पड़ताल, उपचार एवं राष्ट्रीय स्वास्थय कार्यक्रम)**
    - o क्षयरोग
    - o हैजा
    - o आन्थ्र ज्वर
    - o पेशी तनाव (टिटनस)
    - o कुष्ठ रोग
    - o पोलियो
    - o एच0आई0वी0–एड्स एवं एस0टी0डी0
    - o यकृत–शोथ (हैपेटाइटिस)
    - o कुकुर खाँसी (परट्यूसिस)
    - o रोहिणी (डिपथिरिया)
    - o ग्रेस्ट्रोएन्टेराइटिस